प्रिय साथियों,

सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दिल्ली सरकार द्वारा घर जैसी कुवर्ंटाईन सुविधा बनाए जाने के संबंध में मैं निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट करना चाहूंगा और आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया अपने डिवीजन के समस्त स्टाफ को इससे अवगत कराएँ।

1. यह केवल एक संस्थागत गृह कुवर्ंटाईन सुविधा है, जो बहुत कम जोखिम वाले समूह के लोगों, जिनमें लक्षण नहीं हैं, के लिए है । इनमें से कई लोगों के घर में पर्याप्त अलगाव नहीं हो सकता है जो हम में से बहुतों को उपलब्ध है। उदाहरण के तौर पर किसी घर में काम करने वाली एक नौकरानी जिस घर की मालकिन करोना पोजिटिव पाई गई थी और उस नौकरानी के अपने घर वांछित अलगाव की सुविधा नही है, हालाँकि उसको पास कोई लक्षण नहीं है । उनकी स्थिति हमारे कैंपस में बंगलों में सर्वेंट क्वार्टर या जनक विहार या कैम्प में सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह है।

2. इस केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक आपदा के प्रबंधन में सरकार का सहयोग करना हमारा नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी है।

3. हमने अंदर भर्ती लोगों, इस कार्य के लिए स्कूल के बाहर और अंदर लगाए गए डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, सुरक्षा कर्मचारियों की गतिविधियों को देखने के लिए सभी सावधानियां बरती जा रही हैं जैसे कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, आईएआरआई सुरक्षा कर्मचारियों को लगाया गया है तथा संस्थान के अंदर आवाजाही के लिए मुख्य द्वार से स्कूल तक का रूट (सिंडीकेट बैंक से पहले दाहिने मुड़कर, दवाखाना, मदर डेयरी कॉम्प्लेक्स आदि को बचाने हुए सभी चौराहों को अवरुद्ध कर दूसरे कट से बाँए से स्कूल गेट तक) पूर्वनिर्धारण किया है।

4 मुझे अपर जिलाधिकारी श्री कार्तिकेयन जो दिल्ली आपदा प्रबंधन आथोरिटी के कार्यकारी अधिकारी हैं द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उनके लोग पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। मैं आपके संदेशों को आपके आश्वासन के लिए अग्रेषित कर रहा हूं।

5. मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने मामले को शीर्ष स्तर तक ले जाने की पूरी कोशिश की जैसे कि हमारे माननीय मंत्री गण, हमारे महानिदेशक महोदय के माध्यम से कृषि सचिव, यहां तक कि नीति आयोग के माननीय सदस्य के माध्य से पीएओ को तथा मैंने व्यक्तिगत रूप से डीसी को लिखा, रेजिडेंट्स एसोसिएशन और पीजीएसएसयू ने सीएम को लिखा। सभी संम्भव अवसरों द्वारा कोशिश की गई ताकि इसे दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता लेकिन हम

सफल नहीं हो सके क्योंकि इस संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा अधिनियम लागू है, इसलिए यह सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे सरकार के साथ सहयोग करें।

6. कल, मुझे श्री कार्तिकेयन, एडीएम, दिल्ली सरकार से एक आदेश मिला, जिसमें स्पष्ट वर्णित किया गया है कि पूसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संस्थागत गृह कुवर्ंटाईन सुविधा बनाए जाने का निर्णय लिया गया है जिसकी प्रति

सचिव, स्वास्थ्य और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। आदेश में आगे कहा गया है कि इस गतिविधि की सुविधा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा गैर-अनुपालन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी रोग प्रबंधन अधिनियम 1890 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप पूर्ण सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, जो आप सभी ने अब तक किया है और परिणाम यह है कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो घर से दूर गृह कुवर्ंटाईन में हैं। भगवान का आप सभी का आशीर्वाद रहे।

सादर ।

ए.के.सिंह

निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

नई दिल्ली

8 अप्रैल, 2020